BA-2, Paper-I
Topic - राज्य सरकार (राज्यपाल)
Date - 24.07.2020
Seema Kumari, Asst. Prof. (Pol. Sc.), RMC, VKSU.

राज्यपाल (Governor).

राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद होती है। राज्यपाल की नियुक्ति संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं।

संविधान के 6वें भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) आते हैं।

राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका का निभाता है। कनाडा की तरह राज्यपाल नियुक्ति की प्रक्रिया को अपनाया गया है। दो अर्हताएं हैं:- 1. व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए।

2. वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।

राज्यपाल के पद की शर्तें:-

1. उसे न तो संसद सदस्य होना चाहिए न विधानमंडल का सदस्य।
2. लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
3. राजभवन (कार्यालय) उपलब्ध होगा (निःशुल्क)
4. वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होगा।
5. दो राज्यों के राज्यपाल एक व्यक्ति है तो दोनों राज्य मिलकर इन उपलब्धियों का बंटवारा करेंगे।
6. 2008 में संसद ने राज्यपाल का वेतन 36000 रु से बढ़ा-कर 1.10 लाख प्रतिमाह कर दिया है।

राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी अनेक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं-

Scanned with CamScanner

1. अपने कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को आपराधिक कार्यवाही की ~~कार्यवाही~~ सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। गिरफ्तार पर कारावास में नहीं डाला जा सकता है।
2. राज्यपाल को शपथ, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं।
3. शपथ में राज्यपाल प्रतिज्ञा करते हैं:-
   a. वह निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करेगा,
   b. संविधान और विधि की रक्षा संरक्षण और प्रतिरक्षा करेगा।
   c. स्वयं को राज्य की जनता के हित व सेवा में समर्पित।

<u>राज्यपाल की पदावधि</u>:- सामान्यतया राज्यपाल का कार्यकाल पदग्रहण से पांच साल की अवधि के लिए होता है, किंतु वह वास्तव में राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकता है।

<u>राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य</u> - राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती।

भिन्न शक्तियां एवं कार्य -
1. कार्यकारी शक्तियां
2. विधायी शक्तियां
3. वित्तीय शक्तियां
4. न्यायिक शक्तियां

1. <u>कार्यकारी शक्तियां</u> :- राज्य की सभी कार्यपालिका कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। वह इस संबंध में नियम बना सकता है कि उसके नाम से बनाए गए और कार्य निष्पादित आदेश और अन्य प्रपत्र कैसे प्रमाणित होंगे।

Next note →